न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री गोपाललाल स्वर्णकार आर0ए0एस0. उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
प्रकरण संख्या:– 13/2008 राजस्व वाद

दायर दिनांक– 18.3.2009
फैसल दिनांक–

अनवान

1– श्री वालजी पिता नाथू पटेल निवासी सरोदा
2– श्री अमरजी पिता नाथू पटेल
3– श्री भगवान पिता नाथू पटेल
4– श्री हीरालाल पिता कमजी पटेल
5– श्री ताजेंग पिता नानजी पटेल
6– श्री बादर पिता नानजी पटेल निवासी सरोदा तहसील सागवाडा

(वादीगण)

बनाम

1– श्री मूलशंकर पिता रतनलाल भट्टमेवाडा ब्राम्हण निवासी खडगदा के कायम मुकाम –
1/1– श्री उपेन्द्र पिता स्व0 मूलशंकर जी
1/2– श्री सुभाषचन्द्र पिता स्व0 मूलशंकरजी
1/3– श्री कृष्णकान्त पिता स्व0 मूलशंकरजी
1/4– श्री अजीत पिता स्व0 स्व0 मूल शंकरजी
1/5– श्री हितेश पिता स्व0 मूलशंकरजी
1/6– श्रीमती जगदात्री जोशी पिता स्व0 मूलशंकरजी
1/7– श्रीमती शोभना द्विवेदी पिता स्व0 मूलशंकरजी निवासी सरोदा तहसील सागवाडा
2– श्री लेण्ड होल्डर तहसीलदार सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी – श्री शंकरसिंह सोलंकी
वकील प्रतिवादीगण – श्री सुन्दरलाल भण्डारी

दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राज0टि0एक्ट

निर्णय

वादी के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात मौजा सरोदा खाता संख्या 504 पुराना 497/496 किता खेत 7 कुल रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा प्रतिवादी के खाते की है लेकिन प्रतिवादी का उक्त आराजीयात का मात्र खाता है ,प्रतिवादी का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है । आराजीयात पर वादीगण एंव वादीगण के पिता नानजी ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। यह आराजीयात कुम्बारिया हेमार के नाम से प्रसिद्ध है तथा इसमें वादीगण की अन्य आराजीयात भी स्थित है।
यह कि प्रतिवादी के पिता स्व0 रतनलालजी एवं अन्य ने इनके खाते की समस्त आराजीयात वादीगण के पिता नानजी तथा जगजी प्रेमजी ,भेमजी को रूपया 1021/–में विक्रय कर सादा विक्रय पत्र संवत 2004 को संपादित कर गवाहान गोवनजी एवं इकेई के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर विक्रय कर दिये है। विक्रय पत्र में 14 खेत बताया है जिनमें वादपत्र में वर्णित खेत भी सम्मिलित है। वादीगण के पिता एवं अन्य का उक्त आराजीयात पर संवत 2004 के पूर्व से ही कब्जा था ,वादीगण के पिता एवं अन्य काश्तकार उपकषक थे किन्तु आकराजीयात खाते पडवाने की गरज से विक्रय पत्र संपादित कराया था ।राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रभाव में आने की तारीख 22/9/56 संवत 2012 में वादीगण बहैसियत उपकषक वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते आने से धारा 19 राज0टि0एक्ट के तहत वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे लेकिन तहसीलदार सा0 द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूँगरपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

नामान्तरकरण नहीं किए जाने से आराजी प्रतिवादी के खाते ही दर्ज है ।अतः वादीगण कानुनन हक एवं अधिकारों से आज भी आराजीयात खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है।अतः वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर वादीगण को वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में खातेदारी अधिकार प्राप्त है ,आराजीयात अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी घोषित किया जाने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने प्रस्तुत किया गया है ।

वादीगण की ओर से वाद के समर्थन में शपथ पत्र एवं दस्तावेज जमाबन्दी ग्राम सरोदा खतोनी संख्या 504 संवत 2057–60, स्व0 रतनलाल व अन्य द्वारा संपादित विक्रय पत्र , तुलनात्मक ग्राम सरोदा , खसरा गिरदावरी संवत 2008,13,14 , संवत 2028 से 31 ,2032 से 2035 प्रस्तुत कीए गए हैं ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए । दिनांक 28–7–2006 को प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल वकील वादी को दी गई । प्रतिवादी की ओर से अपने जवाब में प्रतिवादी खातेदार काश्तकार होना एवं प्रतिवादी द्वारा काश्त करना बताते हुए वादीगण जबरन काश्त करने की कोशिश में होने से प्रतिवादी की ओर से पूर्व में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा नाथू पिता नानजी वगैरा के विरूद्ध किया था जिसका वाद संख्या 7/2000 निर्णय दिनांक 17/11/2000 है , उस समय इन वादीगणों द्वारा कब्जे का प्रयास नहीं किया था इसलिए इनके विरूद्ध दावा नहीं किया था । वादी संख्या 5 व 6 को पाबन्द किया था जिन्होंने निर्णय की जानकारी होते हुए भी इस वाद में वादी बने हैं किसी भी वादीगण तथा नानजी का कब्जा नहीं है ।वादीगण के आराजीयात पडौस में होने से इनका कोई अधिकार नहीं बनता है।प्रतिवादी के पिता द्वारा कोई विक्रय पत्र सम्पादित नहीं किया गया है ,वादीगण न तो उपकृषक है और नही केतागण है।राजस्थान टिनेन्सी एक्ट दिनांक 22/9/1956 को प्रभाव में नहीं आया न ही वादीगण उपकृषक है धारा 19 का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नही है जिससे खाते दर्ज कराने के अधिकारी नही है। प्रतिवादी स्वयं आकर काश्त करता है वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं है ।

दावा जवाबदावा के आधार पर निम्नांकित वाद बिन्दु कायम किए गए :–

तनकी संख्या 1:– आया वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा होकर काश्त करते आ रहे हैं ?
(वादी)

तनकी संख्या 2:– आया वादग्रस्त आराजीयात के पास वादीगण के खेत होने से वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का ही हक है ? (वादी)

तनकी संख्या 3 :– आया वादपत्र की कलम नं0 1 में वर्णित आराजीयात का संवत 2004 में दस्तावेज विक्रय किया गया जो पंजिबद्ध होकर विधिसम्मत है ?
(वादी)

तनकी संख्या 4:– आया वादीगण आरटीए की धारा 19 के तहत भूमि खाते दर्ज कराने के अधिकारी है?
(प्रतिवादी)

तनकी संख्या 5:– आया विवादित आराजीयात का पूर्व मे कोई वाद दायर होकर निर्णित हुआ है?
(प्रतिवादी)

तनकी संख्या 6:– दादरसी ?

उपरोक्तानुसार तनकीयात कायम की जाकर वादी की साक्ष्य प्रारम्भ की गई ।

वादी ने अपनी साक्ष्य में गवाह बादर पिता नानजी , वालजी पिता नाथू पटेल ,के बयान शपथ पत्र प्रस्तुत कर साक्ष्य वादी समाप्त किए जाने पर साक्ष्य प्रतिवादी प्रारम्भ की गई । प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य में प्रतिवादी स्वयं श्री मूलशंकर के बयान का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया ।

दिनांक 3/11/2015 को प्रतिवादी एवं उनके वकील अनुपस्थित होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाकर वकील वादी को एक पक्षीय बहस हेतु अवसर प्रदान किया गया । वकील वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई ।बहस मे वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण वादग्रस्त आराजीयात के उपकृषक प्रमाणित होना ,वादीगण के नाम खसरा बंदोवस्त में उपकृषक की हैसियत से दर्ज होना ,वर्तमान में आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करने से वादीगण वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी होना एवं वादीगण का वाद डिक्री किए जाने का निवेदन किया गया है ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपर (राज.)

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक वादी द्वारा प्रस्तुत एक पक्षीय बहस पर मनन किया । तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

तनकी संख्या 1:– आया वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा होकर काश्त करते आ रहे हैं ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी को है । वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य खसरा गिरदावरी प्रदर्श 1 से 18 का उल्लेख करते हुए बहस में कब्जे एवं काश्त की पुष्टि होना बताया है । हमने उल्लेखित खसरा गिरदावरी का अवलोकन किया ,वादीगण का कब्जा काश्त अंकित है लेकिन मात्र इस प्रमाण से किसी अन्य खातेदार की भूमि को खाते दर्ज कराने के अधिकारी नही हो सकते । वर्तमान में खाता प्रतिवादी का है अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 2:– आया वादग्रस्त आराजीयात के पास वादीगण के खेत होने से वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का ही हक है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी को है । वादी द्वारा वाद पत्र ,बयानात में वाद ग्रस्त आराजीयात के पास उनके खेत होने से वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का हक होना बताया है । वादी का उक्त कथन सर्वथा गलत होकर नियमों के विपरित है कि किसी के खेत के पास में खेत होने से उसका हक होता है ।अतः यह तनकी भी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 3 :– आया वादपत्र की कलम नं0 1 में वर्णित आराजीयात का संवत 2004 में दस्तावेज विक्रय किया गया जो पंजिबद्ध होकर विधिसम्मत है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी को है । वादीगण द्वारा विक्रय पत्र 2008 फागण वदी 5 का प्रस्तुत कर प्रतिवादी से वादग्रस्त आराजीयात क्रय करने का उल्लेख करते हुए स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि यह पंजिकृत दस्तावेज नहीं है किन्तु कब्जे काश्त के उद्देश्य से इसे पढा जा सकता है । कब्जे काश्त के सम्बन्ध में विवेचन तनकी संख्या 1 में किया जा चुका है । प्रतिवादी की ओर से अपने जवाब में यह बताया है कि प्रतिवादी अथवा उसके पिता द्वारा किसी प्रकार का विक्रय पत्र संपादित नही किया है । वादी की ओर से प्रस्तुत विक्रय का दस्तावेज पंजिकृत नहीं है। विक्रय का दस्तावेज पंजिकृत नहीं होने से वादीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात क्रय किए जाने का ठोस प्रमाण नही माना जा सकता है । अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 4:– आया वादीगण आरटीए की धारा 19 के तहत भूमि खाते दर्ज कराने के अधिकारी है? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी को है । तनकी संख्या 1 से 3 के विवेचन से वादीगण वादग्रस्त भूमि को खाते दर्ज कराने के अधिकारी नहीं माना गया है अतः यह तनकी भी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 5:– आया विवादित आराजीयात का पूर्व मे कोई वाद दायर होकर निर्णित हुआ है? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी को है । पत्रावली में उपलब्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा के प्रकरण संख्या 7/2000 दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अनवान मूलशंकर पिता रतनलाल निवासी खडगदा बनाम नाथू पिता नानजी पटेल वगैरा सरोदा के निर्णय दिनांक 17.11. 2000 की प्रति में भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के आदेश है । इस निर्णय में भी वादग्रस्त भूमि वर्तमान वाद के अनुसार ही है । इससे यह प्रमाणित होता है कि विवादित आराजीयात का पूर्व में वाद दायर होकर निर्णित हुआ है । अतःयह तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है ।

उपखण्ड अधिकारी
जिला डूंगरपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

तनकी संख्या 6:– दादरसी ?

उपरोक्त तनकीवाईज विवेचन व निर्णयानुसार वादी वादग्रस्त भूमि को खाते दर्ज कराने के अधिकारी नही है ।

उपरोक्तानुसार तनकी संख्या 1 से 6 वादीगण के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित होने से वाद वादी बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राज0टिनेन्सी एक्ट का खारीज किया जाता है । डिक्री पर्चा जारी हो। वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक ..... को खूले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो , नम्बर से कम हो ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

Scanned by CamScanner